

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

अतारंकित प्रश्न क्र. : 2016

29, 2019 प्रश्न क्र.

८

2016. डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि कई पात्र परिवारों को 'ए' काड प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्वेता) :

(क) 'ए' -प्रकार के 'ए' (-) काड जारी किए हैं और लाभार्थी के पंजीकरण अथवा नामांकन को कोई आवश्यक नहीं है, 'ए' काड को जरूरत नहीं है।

रूप में लाभार्थियों को पहचान का सत्यापन करने के उपरांत लाभार्थियों को 'ए' काड जारी किए

ने 'ए' () -गवर्नस सर्विसेज

ज () स्वीकार किए गए हैं ताकि योजना के तहत -

-पीएमजेएवाई के लाभार्थियों को पहचान को पुष्टि

के

, प्रधानमंत्री आरोग्य () के तहत 'ए' काड स तालों में लाभार्थी पहचान प्रक्रिया शुरू को गई है जिसमें निजी सेवा प्रदाता भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 'क' लाभार्थी पहचान प्रणाली नीति शुरू को गई है। जिसके द्वारा राज्य में प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों को तैनाती कर सकते हैं।
